

## मध्य प्रदेश में बड़ी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे उप-लोक सेवा केंद्र

### चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सेवा केंद्रों का वसतिार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक करने के लिये आगामी एक साल में पाँच हज़ार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप-लोक सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

### प्रमुख बिंदु

- इन उप-लोक सेवा केंद्र के द्वारा नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिरफि 10 रुपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड हवाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चले जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 7 नये पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किये।
- इनमें सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किये गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएँ बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब ई-एफआईआर हो सकेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की-
  - मध्य प्रदेश में 'ई-रुपी' की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्तियों के भुगतान के लिये 'ई-रुपी' के माध्यम से सीधे हतिग्राहियों को वशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
  - नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण-पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।
  - कुछ वशिष्ट नागरिक सेवाएँ, जैसे- वाहनों का फटिनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, सैफ्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिये सेवाएँ नजि सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदान की जाएंगी।
  - नागरिक सेवाएँ, जैसे- आय, नविस प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिये आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा हवाट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बनि शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदान की जाएगी।
  - समस्त सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया को सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नयिकर्ता एवं ज्वाइनगि दी जाएगी।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम की उपयोगिता और गंभीर कुपोषित बच्चों के समेकित पोषण से संबंधित पुस्तिका और मोटे अनाजों के महत्त्व और उनसे नरिमति व्यंजन के संबंध में पुस्तिका का वमिचन भी कया।